राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1267/2007/कोटा.

मैसस आकोडिया इण्डस्ट्रीज,
मालपुरा, टोंक. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर विभाग,
कोटा
2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
टोंक. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जे.एन.शर्मा,
अभिभाषक ....व्यवहारी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उक्त अपील उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 35/09–10/कोटा में पारित आदेश दिनांक 21.07.2009 एवं दिनांक 15.09.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील को राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 84(3) के तहत प्री–डिपोजिट राशि जमा के सबूत प्रस्तुत नहीं होने के आधार पर श्रवण योग्य नहीं मानकर खारिज की गई है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सहायक आयुक्त वा.क.वि. वृत–टोंक द्वारा वर्ष 1994–95 के लिये पारित आदेश दिनांक 01.09.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के साथ अनिवार्य राशि जमा कराने का समय दिये जाने का अनुरोध किया गया था एवं दिनांक 21.07.2009 की नियत तिथि को उनके द्वारा पुनः स्थगन चाहा गया था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा जमा राशि के सबूत प्रस्तुत नहीं करने का कारण बताते हुये अपील खारिज कर दी गई किन्तु बाद में पुनः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश कर समस्त प्री डिपोजिट राशि जमा कराने के सबूत पेश किये गये थे परन्तु दिनांक 15.09.2009 को उसे भी खारिज कर दिया गया, जिसमें यह आधार दिया गया कि प्री–डिपोजिट राशि के सबूत प्रस्तुत करने पर असफल रहने पर खारिज की गई अपील को नियम 33(1)(2) की परिधि में नहीं आते है, जो अविधिक होने से अपीलीय आदेश खारिज कर उनकी अपील सुनवाई करने का निर्देश दिया जाने का निवेदन किया।

लगातार......2

3. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में केवल मात्र अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील को श्रवणयोग्य नहीं मानकर खारिज करने को चुनौती दी गई है एवं न्यायहित में अपील सुनवाई की जाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। अपील आदेश के पठन पर यह स्पष्ट है कि अपील हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ अधिनियम, 1994 की धारा 84(3) की प्रावधान में दी गई शर्त अनुसार अनिवार्य राशि जमा नहीं थी परन्तु बाद में समय दिया जाने पर वह राशि दिनांक 26.02.2008 व दिनांक 26.08. 2009 को जमा करवाकर सबूत पेश कर दिये थे परन्तु अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 15.09.2009 के आदेश से अपील श्रवण योग्य नहीं मानी व उचित नहीं है अतः न्याय हित में यह आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 33 को पुर्नस्थापित कर अपील की सुनवाई की जाकर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

फलतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

5. निर्णय सुनाया गया।

के.एल.जैन
सदस्य

खेमराज
अध्यक्ष